

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक एफ 17-24 / / 2011 / 20-एक
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/7/12

✓ आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय:-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये
कुकिंग कास्ट की दर में वृद्धि ।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा आपके प्रस्ताव अनुसार भारत सरकार के ज्ञापन
दिनांक 24.11.2009 की कंडिका 1(V) के अनुसार कुकिंग कास्ट की दर में 7.5
प्रतिशत वृद्धि करते हुए दिनांक 01.07.2012 से निम्नानुसार दरें हेतु स्वीकृति
प्रदान करता है :-

कुकिंग कास्ट की दरें

		केन्द्रांश 75 प्रतिशत	राज्यांश 25 प्रतिशत	योग
1	प्राथमिक शाला	2.33	1.32	3.65
	अपर प्राथमिक शाला	3.49	1.21	4.70

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 246/1000664/वित्त
विभाग/ब-3/2012, दिनांक 25.06.2012 द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

R. Shankar
(रीता शांडिल्य)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//2//

पृ० क्रमांक एफ 17-24/2011/20-एक

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन ।
- (2) प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- (3) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (4) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग